विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 1215 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांक:– 18/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड रूद्रप्रयाग।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 433/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 433/2024–25 परिवादी श्री धनेश चन्द्र सेमवाल, होटल सुदेश गंगा त्रिजुगीनारायण सोनप्रयाग, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री धनेश चन्द्र सेमवाल, होटल सुदेश गंगा त्रिजुगीनारायण सोनप्रयाग, ।
3. फाइल नं0–433/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan, D.Dun
Dy. No. 469 File No. 18 Dt. 22/3/25
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/DEO-SM
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/DEO-DR
CLK-VSN/DEO-JK/MT-I/MT-II
GM (L) & CS

PRK

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1215 /उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 18/03/2025

वाद संख्या 433 / 2024–25

श्री धनेश चन्द्र सेमवाल, – परिवादी
होटल सुदेश गंगा त्रिजुगीनारायण, सोनप्रयाग
रूद्रप्रयाग।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद हाई–वोल्टेज के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री धनेश चन्द्र सेमवाल, होटल सुदेश गंगा त्रिजुगीनारायण, सोनप्रयाग, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 19.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 433 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार उपभोक्ता के प्रतिष्ठान पर हाई बोल्टेज के कारण समस्त विद्युत उपकरण जल गए हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता एवं विभाग की ओर से श्री रॉबिन असवाल, उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उक्त शिकायत की लाइनमैन की रिपोर्ट आख्या अगली सुनवाई में मंच को प्रेषित करें।
4. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अजेन्द्र उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड सुमाड़ी उपस्थित हुए, मंच द्वारा उपभोक्ता को निर्देशित किया गया कि उपभोक्ता अपने जले हुए उपकरणों के साक्ष्य मंच में प्रेषित करें।
5. मंच द्वारा शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री के0एन0मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड ऊखीमठ उपस्थित हुए, मंच द्वारा दिनांक 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता को अपने जले हुए उपकरणों के साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, किन्तु उपभोक्ता द्वारा मंच को जले हुए उपकरणों के कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1210 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 12/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड रूद्रप्रयाग।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 434/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 434/2024–25 परिवादी श्री दीपक बोहरा, इंडस टॉवर लिमिटेड रूद्रप्रयाग के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री दीपक बोहरा, इंडस टॉवर लिमिटेड रूद्रप्रयाग ।
3. फाइल नं0–434/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण म
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1210 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 12/03/2025

वाद संख्या 434/2024–25

श्री दीपक बोहरा, – परिवादी
इंडस टॉवर लिमिटेड
रूद्रप्रयाग।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल आने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री दीपक बोहरा, इंडस टॉवर लिमिटेड रूद्रप्रयाग का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 19.11.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0–434 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को माह जुलाई 2024 को 184482 यूनिट का विद्युत बिल दिया गया है, जिसकी धनराशि रू0 1,48,7213 है, जो कि बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित एवं विभाग की ओर से श्री रॉबिन असवाल उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड रूद्रप्रयाग उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग उपभोक्ता के संयोजन की MRI रिपोर्ट अगली सुनवाई में मंच को प्रेषित करें।
4. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई दिनांक 17.01.2025 एवं दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित एवं विभाग की ओर से श्री के0एन0 मिश्रा उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड ऊखीमठ उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की पत्रावली प्रस्तुत की गई।
5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं, अगर फिर भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वह विभाग में चेक मीटर की नियत देय धनराशि जमा करके अपने परिसर में चेक मीटर स्थापित करवा सकते हैं, एवं विभाग उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर की धनराशि जमा होने के 15 दिनों के अन्तर्गत उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर स्थापित करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1217 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 18 / 03 / 2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 444 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 444 / 2024–25 परिवादी श्री जयलाल, निवासी–रविग्राम, जोशीमठ, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड जोशीमठ।
3. परिवादी श्री जयलाल, निवासी– रविग्राम, जोशीमठ।
4. फाइल नं0–444 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
5. गार्ड फाइल।

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan, D.Dun
Dy. No. 468 File No. 18 Dt. 22|3|25
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/DEO-SM
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/DEO-DR
CLK-VSN/DEO-JK/MT-I/MT-II
GM (L) & CS

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1217 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 18/03/2025

वाद संख्या 444 / 2024–25

श्री जयलाल – परिवादी
निवासी– रविग्राम, जोशीमठ।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री जयलाल, निवासी– रविग्राम, जोशीमठ, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0–444 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं0–GS11207411623 है, जिस पर विभाग द्वारा उपभोक्ता को जनवरी माह में रू0 26112 का विद्युत बिल दिया गया है। जिसे देने में उपभोक्ता असमर्थ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0 गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गई, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं, एवं उपभोक्ता द्वारा पूर्व में अपने विद्युत बिल जमा नहीं किये गये हैं, जिस कारण विद्युत बिल में बढ़ोतरी हो रही है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1216 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 18/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 438/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 438/2024–25 परिवादी श्री अरूण रावत, बद्रीश होटल बांजबगड़ मैठाणा, जिला–चमोली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड चमोली।
3. परिवादी श्री अरूण रावत, बद्रीश होटल बांजबगड़ मैठाणा।
4. फाइल नं0–438/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
5. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण म
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 12/6 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः–18 / 03 / 2025

वाद संख्या 438 / 2024–25

श्री अरूण रावत – परिवादी
बद्रीश होटल बांजबगड़ मैठाणा।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिलों में अनियमितता के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री अरूण रावत, बद्रीश होटल बांजबगड़ मैठाणा, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 23.12.2024 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 438 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं0–GS60363543038 है, जिस पर विभाग द्वारा उपभोक्ता को अनियमित बिल दिये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता के संयोजन पर विभाग द्वारा चेक मीटर स्थापित किया गया है। मंच द्वारा विभाग को आदेशित किया गया कि विभाग अगली सुनवाई में उपभोक्ता के चेक मीटर की फाइनल रिपोर्ट मंच में प्रेषित करें।
4. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख चेक मीटर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर मीटर में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL	कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL	कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 1218 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांक:– 19 / 03 / 2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 441 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 441 / 2024–25 परिवादी श्री मोहन सिंह, ग्राम–रूईसाण पो0–डुंग्री थराली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री मोहन सिंह, ग्राम–रूईसाण पो0–डुंग्री थराली।
3. फाइल नं0–441 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan,
Dy. No. 410 File No. 18
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/
CLK-VSN/DEO-JK/M
22/3/25
GM (L) & C

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1218 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–19 /03 / 2025

वाद संख्या 441/2024–25

श्री मोहन सिंह पुत्र स्व0 श्री बलवन्त सिंह – परिवादी
ग्राम– रूईसाण पो0–डुंग्री वि0ख0– थराली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल आने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री मोहन सिंह, ग्राम–रूईसाण पो0–डुंग्री थराली, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 441 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता के अनुसार विभाग द्वारा उपभोक्ता को रू0 22,400 का बिल दिया गया है जोकि उपभोक्ता की विद्युत खपत से बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता श्री मोहन सिंह उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड नारायणबगड उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की पत्रावली प्रस्तुत की गई। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उपभोक्ता को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता अपना पुराना मीटर अविलम्ब विभाग में जमा करें, ताकि विभाग मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कर सके। मीटर जमा न होने की दशा में जो विद्युत बिल विभाग द्वारा उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है, उसका भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1219 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 19 / 03 / 2025

वाद संख्या 445 / 2024–25

श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली।	–	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	–	विपक्षी
	कोरम	
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट श्री सन्तोष डिमरी श्री रघुराज सिंह		उपभोक्ता सदस्य विधि सदस्य तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 445 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता का विद्युत कनेक्शन नं0–GS41802248243 है, जिस पर विभाग द्वारा उपभोक्ता को जनवरी माह में रू0 4,666 का बिल विद्युत आपूर्ति से अधिक दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड नारायणबगड उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गई, मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को मीटर रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं, अगर फिर भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वह विभाग में चेक मीटर की नियत देय धनराशि जमा करके अपने परिसर में चेक मीटर स्थापित करवा सकते हैं, एवं विभाग उपभोक्ता द्वारा चेक मीटर की धनराशि जमा होने के 15 दिनों के अन्तर्गत उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर स्थापित करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 1219 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांक:– 19/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 445 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 445 / 2024–25 परिवादी श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली ।
3. फाइल नं0–445 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1220 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 19/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 446 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 446 / 2024–25 परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह दानू, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह दानू, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली ।
3. फाइल नं0–446 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1220/उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 19/03/2025

वाद संख्या 446/2024–25

श्री राजेन्द्र सिंह दानू – परिवादी
ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन न होने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता श्री राजेन्द्र सिंह दानू, ग्राम व पो0– घेस तहसील– थराली का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 446 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ता द्वारा उपभोक्ता के गॉव हिमनी तोक जमड़ा में विद्युत पोल है, लेकिन उक्त पोल में विद्युत लाइन नहीं है जिस कारण उपभोक्ताओं को अँधेरे में रहना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड नारायणबगड उपस्थित हुए, मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त शिकायत मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण मंच में मामले की की सुनवाई नहीं की जा सकती है। मंच द्वारा उपभोक्ता को सुझाव दिया गया कि वह विभाग में नये संयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर ~~नये संयोजन के लिए~~ आवेदन करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1221/उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 19/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 447/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 447/2024–25 परिवादी समस्त रोपडली तोक, ग्रामसभा – हिमनी पो0– घेस तहसील– थराली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी समस्त रोपडली तोक, ग्रामसभा – हिमनी पो0– घेस तहसील– थराली।
3. फाइल नं0–447/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 1221 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांक:– 19 / 03 /2025

वाद संख्या 447 / 2024–25

समस्त रोपडली तोक – परिवादी
ग्राम– हिमनी पो0– घेस तहसील– थराली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता समस्त रोपडली तोक, ग्रामसभा – हिमनी पो0– घेस तहसील– थराली का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0– 447 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्रामसभा हिमनी के रोपडली तोक में विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया है एवं वर्तमान समय में एक ही ट्रांसफार्मर है इस तोक में लगभग 70 उपभोक्ता रहते हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड नारायणबगड उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः– 1222 /उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25,	दिनांकः– 19/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 448 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 448 / 2024–25 परिवादी समस्त घोड़ाढाक तोक, ग्रामसभा – हिमनी पो0– घेस तहसील– थराली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी समस्त घोड़ाढाक तोक, ग्रामसभा – हिमनी पो0– घेस ।
3. फाइल नं0–448 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट—ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:— 246429

पत्रांकः—1222/उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024—25, दिनांकः— 19/03/2025

वाद संख्या 448/2024—25

समस्त घोड़ाढाक तोक ग्राम— हिमनी पो0— घेस।	—	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	—	विपक्षी
	कोरम	
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट		उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी		विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह		तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने एवं विद्युत पोल ठीक करने के सन्दर्भ में है। उपभोक्ता समस्त घोड़ाढाक तोक, ग्रामसभा—हिमनी पो0—घेस, का शिकायती पत्र उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को दिनांक 17.01.2025 को प्राप्त हुआ। जिसे वाद सं0— 448 में दर्ज कर लिया गया है।
2. शिकायतकर्ताओं के अनुसार ग्रामसभा हिमनी के घोड़ाढाक तोक में तीन वर्ष पूर्व विद्युत ट्रांसफार्मर जल गया है, एवं पोल भी टेडे हो रखे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
3. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री शैलेन्द्र बिष्ट अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड नारायणबगड उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उक्त शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान विभाग द्वारा कर दिया गया है। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य—उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य) सदस्य—विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य—तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1223 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 449 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 449 / 2024–25 परिवादी श्रीमती रामेश्वरी देवी, ग्राम–गंगोलगॉव, पपड़ियाणा गोपेश्वर, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. श्रीमती रामेश्वरी देवी, ग्राम–गंगोलगॉव, पपड़ियाणा गोपेश्वर ।
3. फाइल नं0–449 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

O/o GM(L)/CS, UPCL
VCV Gabar Singh Urja Bhawan, D.Dun
Dy. No. 438 File No. 18 Dt. 24/3/25
SLO-MN/SLO-MK/Ad-AR/DEO-SM
Ad-BPS/OA-DK/St.-HG/DEO-DR
CLK-VSN/DEO-JK/MT-I/MT-II
PPK GM (L) & CS

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1223/उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25,	दिनांकः–20/03/2025

वाद संख्या 449/2024–25

श्रीमती रामेश्वरी देवी ग्राम–गंगोलगॉव, पपड़ियाणा गोपेश्वर।	–	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।	–	विपक्षी
	कोरम	
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट श्री सन्तोष डिमरी श्री रघुराज सिंह		उपभोक्ता सदस्य विधि सदस्य तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती रामेश्वरी देवी, ग्राम–गंगोलगॉव, पपड़ियाणा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 18.01.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के नये मीटर लगाये जाने के बावजूद भी पिछला बकाया बिल दिखाया जा रहा है, जो कि अनुचित है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 06.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर अधिशासी अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को उपभोक्ता के विद्युत बिल मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित कर अगली सुनवाई तिथि पर मंच में प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा उक्त उपभोक्ता के संशोधित किये गये बिल की प्रतिलिपि मंच के सम्मुख प्रेषित की गई।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त उपभोक्ता के विद्युत बिल को मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) **सदस्य–उपभोक्ता** उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य) **सदस्य–विधि** उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:-1224 /उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांक:- 20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 431 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 431 / 2024–25 परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह एवं समस्त ग्रामवासी, देवर खडोरा, जिला–चमोली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. श्री जितेन्द्र सिंह एवं समस्त ग्रामवासी, देवर खडोरा।
3. फाइल नं0–431 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1224 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–20/03/2025

वाद संख्या 431/2024–25

श्री जितेन्द्र सिंह एवं समस्त ग्रामवासी देवर खडोरा। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिलों में अनियमितता के सन्दर्भ में है। श्री जितेन्द्र सिंह एवं समस्त ग्रामवासी, देवर खडोरा, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 13.11.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि उपभोक्ता के ग्राम पंचायत देवर–खडोरा में विगत कुछ माहों से विद्युत बिलों में अनियमितताऐं (बिलों में एक किलोवाट के फिक्स चार्ज को तीन किलोवाट में भेजा जा रहा है।) आ रही हैं। उपभोक्ताओं द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 23.12.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, मंच द्वारा विभाग को उक्त शिकायत की जॉच आख्या, अगली सुनवाई तिथि पर प्रेषित करना आदेशित किया गया।
3. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 17.01.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1365/वि0वि0ख0च0 दिनांक 16.01.2025 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में सम्बन्धित उपभोक्ताओं को विद्युत भार कम किये जाने हेतु आवेदन किये जाने के लिए अवगत कराया गया है।
4. शिकायतकर्ता के शिकायत की सुनवाई 06.02.2025 एवं 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1510/वि0वि0ख0च0 दिनांक 22.02.2025 द्वारा मंच को अवगत किया गया कि सम्बन्धित प्रकरण में उपभोक्ताओं के आवेदन पत्रानुसार 67 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें नियमानुसार कार्रवाई कर दी गयी है। मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त शिकायत से सम्बन्धित उपभोक्ताओं के विद्युत भार को कम कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1225 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः–20 / 03 / 2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गोपेश्वर।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 466 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 466 / 2024–25 परिवादी श्री कुलदीप सिंह, अपर चमोली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. श्री कुलदीप सिंह, अपर चमोली ।
3. फाइल नं0–466 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण म
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1225 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–20/03/2025

वाद संख्या 466/2024–25

श्री कुलदीप सिंह अपर चमोली।	–	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।	–	विपक्षी
	कोरम	
श्री अर्जुन सिंह बिष्ट		उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी		विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह		तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कुलदीप सिंह, अपर चमोली, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को जनवरी 2021 से NA के विद्युत बिल दिये गये, एवं विभाग द्वारा नया मीटर लगाये जाने के बाद 3093 यूनिट का बिल दिया गया, जबकि मीटर बदलने के पश्चात् नये मीटर की रीडिंग 30 यूनिट है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री आशीष चौधरी सहायक अभियंता वि0वि0खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए, विभाग द्वारा मंच को अवगत किया गया कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर (रू0 3280 एवं अतिरिक्त ब्याज) दिया गया है, जिससे उपभोक्ता भी संतुष्ट है। उपभोक्ता ने मंच को अवगत किया कि वह (5 मार्च 2025 से पूर्व) सम्पूर्ण बिल की धनराशि विभाग में जमा कर देगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य)	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य)	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1226 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 468 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 468 / 2024–25 परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री लक्ष्मण सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल।
3. फाइल नं0–468 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

पत्रांकः– 1226 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

वाद संख्या 468 / 2024–25

श्री लक्ष्मण सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल, जिला–चमोली।	–	परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	–	विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट	उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी	विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह	तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री लक्ष्मण सिंह ग्रामसभा सवाड, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 172 / वि0वि0ख0नाब0 / दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा।** विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य)	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य)	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL	सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1227 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः–20 / 03 / 2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 469 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 469 / 2024–25 परिवादी श्रीमती बचुली देवी, ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्रीमती बचुली देवी ग्रामसभा सवाड, देवाल ।
3. फाइल नं0–469 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1227 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20 / 03 / 2025

वाद संख्या 469 / 2024–25

श्रीमती बचुली देवी – परिवादी
ग्रामसभा सवाड, देवाल,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत मीटर के सन्दर्भ में है। श्रीमती बचुली देवी ग्रामसभा सवाड, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थिनी का विद्युत मीटर जल गया है, जिसे विभाग द्वारा बदला नहीं गया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 173 / वि0वि0ख0नाब0 / दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता की उक्त शिकायत का समाधान कर उपभोक्ता के परिसर में जला हुआ मीटर बदल कर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद का समाधान वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1228 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः–20 / 03 / 2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 470 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 470 / 2024–25 परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह, ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल ।
3. फाइल नं0–470 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1228 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–20/03/2025

वाद संख्या 470/2024–25

श्री हरेन्द्र सिंह – परिवादी
ग्रामसभा सवाड़, देवाल,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री हरेन्द्र सिंह ग्रामसभा सवाड, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 174/वि0वि0ख0नाब0/दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा।** विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1229 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 471/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 471/2024–25 परिवादी श्री सुजान सिंह, ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री सुजान सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल ।
3. फाइल नं0–471/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1229 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

वाद संख्या 471/2024–25

श्री सुजान सिंह – परिवादी
ग्रामसभा सवाड़, देवाल,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट — उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी — विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह — तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री सुजान सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 175/वि0वि0ख0नाब0/दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा।** विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तद्नुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट	सन्तोष डिमरी	रघुराज सिंह
(उपभोक्ता सदस्य)	(विधि सदस्य)	(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांक:– 1230 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांक:– 20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषय:– उपभोक्ता वाद संख्या 472/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 472/2024–25 परिवादी श्री पान सिंह, ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न:– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री पान सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल ।
3. फाइल नं0–472/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1230 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः– 20/03/2025

वाद संख्या 472/2024–25

श्री पान सिंह ग्रामसभा सवाड, देवाल, जिला–चमोली।	–	परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	–	विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट	उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी	विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह	तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पान सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 176/वि0वि0ख0नाब0/दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा।** विनियम 5.1.3(10)(**a**) एवं (**b**) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1231 /उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड नारायणबगड़।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 473/2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 473/2024–25 परिवादी श्री केदार सिंह, ग्रामसभा सवाड़, देवाल के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0क्रा0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. परिवादी श्री केदार सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल ।
3. फाइल नं0–473/उ.शि.नि.मं./क.क्षे./शि.नि./2024–25।
4. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः– 1231 / उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20 / 03 / 2025

वाद संख्या 473 / 2024–25

श्री केदार सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल, जिला–चमोली।	–	परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	–	विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट	उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी	विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह	तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री केदार सिंह ग्रामसभा सवाड़, देवाल, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग की ओर से श्री अजय बर्तव्वाल (का0स0) वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 177 / वि0वि0ख0नाब0 / दिनांक 24.02.2025 द्वारा वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां मंच के सम्मुख प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता की औसत विद्युत खपत स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। **UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चेक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा।** विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट (उपभोक्ता सदस्य) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (विधि सदस्य) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	रघुराज सिंह (तकनीकि सदस्य) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

पत्रांकः– /232/ उ0शि0नि0मं0 / क0क्षे0 / शि0नि0 / 2024–25, दिनांकः– 20 /03 /2025

अधिशासी अभियन्ता,
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0,
विद्युत वितरण खण्ड गैरसैंण।

विषयः– उपभोक्ता वाद संख्या 474 / 2024–25 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक वाद संख्या 474 / 2024–25 परिवादी श्रीमती मधु टम्टा, उत्तराखण्ड कृषि संयत्र इकाई, औद्योगिक क्षेत्र सिमली, के शिकायत पत्र के सम्बन्ध में मंच द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, दिये गये निर्णयों का अनुपालन करते हुए आप अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– यथापरोक्त।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. कम्पनी सचिव,उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, वि0का0वि0ग0सिं0भ0, कांवली रोड़, देहरादून।
2. विद्युत उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग।
3. परिवादी श्रीमती मधु टम्टा, उत्तराखण्ड कृषि संयत्र इकाई, औद्योगिक क्षेत्र सिमली ।
4. फाइल नं0–474 / उ.शि.नि.मं. / क.क्षे. / शि.नि. / 2024–25।
5. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह बिष्ट)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(निकट–ताज पैलेस गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

पत्रांकः–1232/उ0शि0नि0मं0/क0क्षे0/शि0नि0/2024–25, दिनांकः–20/03/2025

वाद संख्या 474/2024–25

श्रीमती मधु टम्टा
उत्तराखण्ड कृषि संयत्र इकाई
औद्योगिक क्षेत्र सिमली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैंण। – विपक्षी

कोरम

श्री अर्जुन सिंह बिष्ट – उपभोक्ता सदस्य
श्री सन्तोष डिमरी – विधि सदस्य
श्री रघुराज सिंह – तकनीकि सदस्य

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती मधु टम्टा, उत्तराखण्ड कृषि संयत्र इकाई, औद्योगिक क्षेत्र सिमली, वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 06.02.2025 को पत्र के माध्यम से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग को अवगत किया कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को कई समय (लगभग 6 वर्ष) तक कोई विद्युत बिल नहीं दिया गया, एवं वर्तमान में विभाग द्वारा नोटिस के साथ सम्पूर्ण विद्युत बिल एक साथ देकर उसमें रू0 15265/ का सरचार्ज जोड़ा गया है। उपभोक्ता द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. मंच द्वारा दर्ज शिकायत की सुनवाई दिनांक 24.02.2025 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग उपस्थित हुए। उपभोक्ता ने मंच के सम्मुख वाद से सम्बन्धित पत्रावलियां प्रस्तुत की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता को विभाग द्वारा विद्युत बिल समय से न दिये जाने के कारण बिल राशि अधिक हुई है, अतः उपभोक्ता के विद्युत बिल में दिया गया सम्पूर्ण सरचार्ज रू0 15265/निरस्त करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिये गये विद्युत बिल में लगाये गये सरचार्ज रू0 15265/को निरस्त करने तथा उपभोक्ता को अपना विद्युत बिल निरंतर किश्तों में भुगतान करने का आदेश देता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है।

तदानुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अर्जुन सिंह बिष्ट
(उपभोक्ता सदस्य)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(विधि सदस्य)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

रघुराज सिंह
(तकनीकि सदस्य)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL